

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

महाशय

23/02/23

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं रजिया खातून खति शलीम उप्रीन खान

ग्राम खैवाकरी पो. जयनगर थाना जयनगर

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा असना

2. थाना तिलैया

3. थाना न० 245

4. खाता न० 62

5. प्लॉट न० 1169

6. रकबा 04 बी०

7. भूमि का किस्म रेंचती

8. अद्यतन रसिद न० 0441774811 दिनांक 7/2/2023 वर्ष - 2022-23

9. दा० खारिज वाद संख्या 3135/2019-2020

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

रजिया खातून

न्यायालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या :-.....152...../2023

2013/23

आवेदिका रजिया खातुन, पति-शलीम उद्दीन खान, ग्राम-खेशकरी, पोस्ट-जयनगर, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
असना	245	62	1169	04 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक28./3...../2023 को प्रस्तुत करें।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

28.03.2023

08.4.2023

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-असना, थाना नं०-245 के ऑनलाईन पंजी-II के पृ०सं०-54 भाग संख्या-26 पर खाता नं०-62, प्लॉट नं०-1169, रकवा-04 डी० भूमि रजिया खातुन, पति-शलीम उद्दीन के नाम से जमाबंदी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला संख्या-2343 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा हासिल है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल-खारिज वाद संख्या-3135/2019-20 दर्ज है। अंतिम लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या-24 दिनांक 24.02.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-असना, थाना नं०-245 के ऑनलाईन पंजी-II के पृ०सं०-54 भाग संख्या-26 पर खाता नं०-62, प्लॉट नं०-1169, रकवा-04 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


08/04/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।